

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम -17(क) को देखें

ईमेल- deo.almora.dir@gmail.com

दूरभाष: 05962234796

फैक्स: 05962234796

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 10917

दिनांक 23/03/2022

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रवन्धक

स्प्रिंग डेल्स स्कूल अल्मोड़ा।

विषय-


निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19(2) के प्रायोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम -17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 15.02.2020 से साथ संलग्न उप सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् दिल्ली से सम्बद्धता प्रमाण पत्र संख्या CBSE/AFF /3530151(EX-00142-1718)/2017/1286059 दिनांक 04.07.2017 के क्रम में आपके विद्यालय, स्प्रिंग डेल्स स्कूल अल्मोड़ा विकासखण्ड -हवालबाग अल्मोड़ा को अधिनियम की धारा- 19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद अल्मोड़ा में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या **Hawalbag -16** हैं। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उलंघन दृष्टिगोचर होता है, तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा।



(Jyotsna Sohanlal)
Principal
Spring Dales School
ALMORA